

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्र.अ./2022/ 1470

दिनांक 05/07/2022

प्रार्थी :-

1. बीजलाराम पुत्र पुरखाराम,
जाति मेगवाल, निवासी देदूसर
तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1. कमलसिंह 2. गिरधरसिंह 3. हिन्दूसिंह पि.
अजबसिंह 4. कंवराजसिंह 5. चौथसिंह
6. डूंगरसिंह पि. राणसिंह 7. तनेराजसिंह पुत्र
प्रेमसिंह 8. स्वरूपसिंह 9. रामसिंह 10. कंवराजसिंह
पि. गुलसिंह, जातियान राजपूत, निवासी देदूसर
11. सकनाराम पुत्र तुलछाराम 12. गोरधनराम
13. मूलाराम 14. शंकराराम 15. रूगाराम पि.
सुरताराम, जातियान भील

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 41/2020

दिनांक : 05.07.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र देदूसर के मौजा देदूसर के खेत खसरा सं. 520/118 रकबा 08.16 बीघा एवं खसरा सं. 518/118 रकबा 19.00 बीघा, कुल रकबा 27.16 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/1471 to 1474

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी बीजलाराम
3. विप्रार्थीगण कमलसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 05/07/2022



(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन